Speed post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No KRB/3/2011/STGJH/DELAAL/RU-III

Dated .....

14/10/2011

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग,
झारखण्ड, रॉची

विषयः- सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा टाना भगतों की जमीन पर जबरन कोयला खद्यान खोलने के संबंध में श्री कौलेश्वर रामा भगत एवं अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपयुक्त विषयांतर्गत आयोग में हुई बैठक दिनांक 10/08/2011 के कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।

निदेशानुसार, आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत पर अनुपालन / कार्रवाई प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र आयोग को भिजवाने का कष्ट करें ।

6163
17/10/11
ISSUED

भवदीय,

(एन.के. मारन)
अनुसंधान अधिकारी

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

मिसिल सं. के.आर.बी./3/2011/एस.टी.जी.जे.एच./डी.ई.एल.ए.ए.एल./आर.यू.-3

श्री कोलेश्वर टाना भगत व अन्य निवासी ग्राम-जमुनिया टाण्ड, भण्डार गढ़हा(टमरस टांड), टण्डवा प्रखण्ड, जिला चतरा (झारखण्ड) से ताना भगतों की जमीन पर जबरन कोयला खदान खोलने संबंधी शिकायत के संबंध में आयोग में हुई बैठक दिनांक 10/08/2011 के कार्यवृत्त ।

उपस्थिति

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1) डॉ. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष,
(2) श्रीमती के.डी. बंसौर, उपनिदेशक,
(3) श्री एन.के. मारन, अनुसंधान अधिकारी,

राज्य शासन बिहार

श्री एन.एन. पाण्डेय, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, रॉची

पृष्ठभूमि

श्री कोलेश्वर टाना भगत व अन्य ने ग्राम-जमुनिया टाण्ड, भण्डार गढ़हा(टमरस टांड), टण्डवा प्रखण्ड, जिला चतरा (झारखण्ड) से टाना भगतों की जमीन पर जबरन कोयला खदान खोलने संबंधी शिकायत दिनांक 21/2/2011 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित की । शिकायत पत्र में आयोग को सूचित किया है कि ताना भगत पुरखो से चतरा जिला अंतर्गत टण्डवा प्रखण्ड के जमुनिया टांड, भण्डार गढ़हा(टमरसटांड) तथा आसपास के लगभग एक दर्जन गांव के टाना भगतो की आजीविका उक्त जमीन से चलती है । उनके पास जमीन के कोई कागजात नहीं है। परंतु वन अधिनियम, 2006 के अनुसार जिस जमीन पर मालिकाना अधिकार है उसका पटटा / पर्ची कब्जा धारियों को मिलना चाहिए । इस अधिनियम के तहत् सारी प्रक्रिया करने के बाद भी पटटा / पर्ची नहीं मिली है । अब इस जमीन पर सी.सी.एल प्रबंधन के द्वारा कोयला खदान खोलकर आवेदकों को भी विस्थापित किए जाने का प्रयास चल रहा है । अंचल अधिकारी कब्जावाली जमीन का सर्वे करा चुके है तथा टाना भगत की जमीन का वाजिब हक दिलवाने का कष्ट करें ।

शिकायत पत्र पर आयोग द्वारा दिनांक 23/2/2011 को जिला समार्हता, जिला चतरा, झारखण्ड से प्रतिवेदन मांगा गया । मामले में जिला समाहर्ता , जिला चतरा से समय अवधी में उत्तर अप्राप्त होने पर आयोग ने अनुस्मरण पत्र दिनांक 31/05/2011

Rameshwar oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार एवं जिला समाहर्त्ता, चतरा को आयोग में दिनांक 10/06/2011 को समस्त अभिलेखों / परिपुर्ण दस्तावेजों सहित चर्चा के लिए बुलाया गया । प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग उक्त बैठक में अनुपस्थित रहें तथा कोई पत्राचार से सूचना तक नहीं भेजी । आयोग ने प्रकरण में सूचना न आना एवं प्रधान सचिव की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉची को दिनांक 25/7/2011 को पत्र लिखा की वह मामले के निपटान हेतु प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार एवं जिला समाहर्त्ता, चतरा को दिनांक 10/08/2011 का आयोग में उपस्थित होने के निर्देश देवें ।

चर्चा

दिनांक 10/08/2011 को आयोग के समक्ष श्री एन.एन. पाण्डेय, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड ने उपस्थित होकर उपायुक्त जिला चतरा के पत्र सं. 710/गो0 आयुक्त दिनांक 5/8/2011 में दर्शायी गई जानकारी पर चर्चा निम्न बिन्दुओं पर की -

(1) टण्डवा अंचल अंतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के बीच वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्रामसभा कराई गई है। ग्रामसभा से प्राप्त प्रस्तावों की जांच के पश्चात सही पायें गये दावों को विधिवत अनुमण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित करते हुए पट्टा निर्गत किया गया है । इस अंचत अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के बीच अबतक कुल 98 दावेदारों के बीच कुल 146.93 एकड़ भूमि पट्टा का वितरित किया जा चुका है। इन दावेदारों का सम्पूर्ण विवरणी यथा- दावेदारों का नाम, खाता संख्या, प्लॉट नम्बर रकवा इत्यादि परिशिष्ट" क" एवं"ख" संलग्न कर दिया जा रहा है ।

(2) उपर्युक्त दावेदारों के बीच वितरित पट्टा की छायाप्रति परिशिष्ट " ग" पर संलग्न है ।

(3) इसके अलावा ग्राम सिदपा जो अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम है, इस ग्राम के 42 दावें प्राप्त हुए है। इसकी जांच वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जाचोंपरांत अनुमण्डल एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सही पाये गये दावों का निस्तार कर, पट्टा देने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जायेगी ।

(4) उपरोक्त वितरित किये गये पट्टे में अधिकांश लाभुक अनुसूचित जनजाति (टाना भगत समुदाय के) ही लोग है।

(5) सी0सी0एल0 प्रबंधन को भूमि अपयोजन हेतु अनापति प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम के ग्रामीणों के बीच वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई करने के पश्चात एवं ग्राम सभा की सहमति से ही सी0सी0एल0 को विषयगत प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किया जाता है ।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India

(6) सी.सी.एल. के अशोका परियोजना हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व ग्राम-विजैन, कुटकी उर्फ ठेना ठेठांगी एवं सिदालू में वन अधिकार अधिनियम के तहत् ग्राम सभा कराई गई और योग्य एवं सही पाये गये 22 दावेदारों के बीच 36.23 एकड़ का पट्टा जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया गया ।

(7) जिला प्रशासन वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत् जनजातीय परिवारों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु पूर्ण संकल्पित एवं तत्पर है ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रधान सचिव को सलाह दी कि जिन टाना भगतों के प्रकरणों के आवेदकों के आवेदनों को निरस्त किया गया है उन पर भी समीक्षा / विस्तृत जॉच कर आयोग को रिपोर्ट भिजवाएँ ।

अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय । जरूरत महशूस होने पर अपायुक्त, चतरा को सारे रेकार्ड के साथ चर्चा हेतु कमीशन कार्यालय में बुलाया जायेगा ।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi